



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 129-2022/Ext.]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई, 2022  
(28 आषाढ़, 1944 शक)

### विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान 1. अधिसूचना संख्या सांकांनि० 133/संवि०/अनु० 309/2022, दिनांक 19 जुलाई, 2022 - हरियाणा स्टोर खरीद विभाग (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	643-644
भाग IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

भाग-III

हरियाणा सरकार

आपूर्ति तथा निपटान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 जुलाई, 2022

संख्या सांकांनि० 133/संवि०/अनु० 309/2022.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्टोर खरीद विभाग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1982, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा स्टोर खरीद विभाग (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा स्टोर खरीद विभाग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1982 में, नियम 5 में, "सत्रह" शब्द के स्थान पर, "अठारह" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

विजेंद्र कुमार,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग।